न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

अपीलडिक्री / टीए / 1809 / 2005 / धौलपुर

1– हवाई पुत्र दौजी
2– हाकिम पुत्र दौजी
समस्त जाति नट निवासी ग्राम पटी हाल आबाद ताल सेमेरी तहसील व जिला आगरा।
3– तहसीलदार पुत्र दौजी

–अपीलाण्ट्स

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, धौलपुर
2– मु0 कम्मोदा बेवा बेदरिया
3– संतोषी
4– विशम्भर
5– रामबोल
6– राकेश
7– गुड्डू
पुत्र / पुत्री बेदरिया नाबालिग जरिए वली माता मु0 कम्मोदा बेवा बेदरिया
8– भगवानसिंह पुत्री देवीसिंह
9– रामावतार उर्फ औलार सिंह पुत्र होतीलाल
10– हरविलास पुत्र होतीलाल
11– नत्थीसिंह
12– पूरनसिंह
13– जगदीश
पुत्रगण किशनसिंह
समस्त जाति गूजर निवासी ग्राम पटी तहसील जिला धौलपुर ।

– रेस्पोडेंट्स

खण्डपीठ
डॉ. श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः–
1.श्री जे.के.पन्त, अधिवक्ता अपीलांट्स।
2. श्री एस.पी.ओझा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक– 31–1–2025

हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 22 / 2000 में पारित निर्णय दिनांक 18–1–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धौलपुर द्वारा अपीलांट्स/प्रतिवादीगण के विरूद्ध विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 175 के तहत् एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पटी तहसील धौलपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 195 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 229 रकबा 1 बीघा एवं खसरा नंबर 253 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा का खातेदार अपीलांट दोजी पुत्र मिश्रीलाल नट है, जो अनुसूचित जाति का है। तहसीलदार, धौलपुर द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत का अपीलांट्स को विवादित आराजीयात से बेदखल कर विवादित आराजी को कब्जे राज में लिये जाने का निवेदन किया गया। विचारण न्यायालय उक्त प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अपने निर्णय दिनांक 19–8–1976 द्वारा अपीलांट्स को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने का आदेश प्रदान किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–8–1976 के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा एक अपील अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 7–4–1978 द्वारा अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19–8–1976 को निरस्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–4–1978 की पालना में विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर कर अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त वाद का जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी द्वारा कभी भी विवादित आराजी को शिकमी काश्त पर नहीं उठाई है। देवीसिंह ने जबरन कब्जा कर रखा है। अतः कार्यवाही ड्रॉप की जाकर प्रतिवादीगण को पुनः कब्जा दिलाया जावे। अतः प्रस्तुत वाद खारिज किया जावे।

दावे एवं जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा निम्नलिखित तनकीयात कायम की गई।

1– आया ग्राम पटी के आराजी खसरा नंबर 195, 253, 229 दोजी पुत्र मिश्रीलाल जाति नट राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार था तथा यह अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। विवादग्रस्त भूमि पर संवत् 2031 में देवीसिंह पुत्र धनपाल गुजर को शिकमी काश्त पर दी थी।

2– आया अनुसूचित जाति की खातेदारी भूमि पर अन्य जाति के व्यक्ति का कब्जा होने एवं शिकमी का इन्द्राज होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45, 46 का उल्लंघन है।

3– आया वादग्रस्त आराजी काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रतिवादियों को बेदखल करने का प्रावधान है।

4– आया वादग्रस्त भूमि के खातेदार दोजी ने देवीसिंह पुत्र धनपाल गुजर को शिकमी काश्तकार नहीं दी बल्कि देवीसिंह ने जबरदस्ती बेदखल कर दिया।

5– आया वादग्रस्त आराजी पर दोजी के वारिसान पुनः कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

6– अनुतोष।

दावे, जवाबदावे एवं कायम की गई तनकीयात के आधार पर विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 28–12–1999 द्वारा तहसीलदार, धौलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपीलांट्स/प्रतिवादीगण को आराजी खसरा नंबर 195, 229, 253 ग्राम पटी से बेदखल किये जाने तथा विवादित आराजी को कब्जे राज लिये जाने का आदेश प्रदान किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–12–1999 से व्यथित होकर रेस्पोडेंट्स संख्या 1 ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18–1–2005 द्वारा रेस्पोडेंट्स द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–1–2005 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4– अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत हैं। उनका कथन है कि विवादित भूमि के अपीलांट्स खातेदार काश्तकार हैं एवं वे अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं, जिनकी भूमि पर कानूनन सवर्ण जाति के व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। उनका यह भी कथन है कि अपीलांट ने भूमि कभी भी रेस्पोडेंट को शिकमी काश्त हेतु नहीं दिया एवं न ही वे शिकमी साबित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 में प्रावधित प्रावधानों को नजरअंदाज कर निर्णय पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील स्वीकार कर भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,

भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–1–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28–12–1999 निरस्त किये जावे।

5– इसके विपरीत राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि ग्राम पटी तहसील धौलपुर स्थित आराजी खसरा नंबर 195 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 229 रकबा 1 बीघा एवं खसरा नंबर 253 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा का खातेदार अपीलांट दोजी पुत्र मिश्रीलाल नट है, जो अनुसूचित जाति का है। उसने विवादित आराजी संवत् 2031 में विवादित आराजी को सवर्ण जाति के व्यक्ति देवीसिंह को शिकमी काश्त पर उठा दी थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46–ए के सर्वथा विपरीत है। उनका यह भी कथन है कि जिन पक्षकारों ने प्रथम अपील की थी तथा उनकी प्रथम अपील खारिज होने के पश्चात् वे द्वितीय अपील में नहीं आये तथा प्रथम अपील के रेस्पोडेंट्स द्वारा यह अपील पेश की है, जो संधारण योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को विवादित आराजी से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया है, जो कि विधिसम्मत है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

7– हस्तगत प्रकरण में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार, धौलपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 195, 229 व 253 का खातेदार अपीलाण्ट के पिता दौजी पुत्र मिश्रीलाल नट है, जिसके द्वारा भूमि को सवर्ण जाति के व्यक्ति को शिकमी काश्त पर दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46–ए के प्रावधानों के विपरीत होने से विवादित आराजी को कब्जे राज में लिया जाकर अपीलाण्ट को बेदखल किया जावे। उक्त प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19–8–76 से स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील दिनांक 7–4–78 को अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार कर प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश की अनुपालना में उपखण्ड अधिकारी ने तनकियात कायम कर दिनांक 28–12–99 को दावा डिक्री कर प्रतिवादी को आराजी खसरा नंबर 195, 229, 253 से बेदखल कर आराजी को कब्जे राज लिए जाने के आदेश पारित किए।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2028 से 2032 में आराजी खसरा नंबर 195, 229, 253 पर दौजी वल्द मिश्रीलाल कौम नट सा0 देह खातेदार दर्ज है।

तत्पश्चात् जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 में आराजी खसरा नंबर 195, 229, 253 पर मु0 कम्बोदा बेवा वेदरिया व संतोषी, विशम्बर, रामबोल, राकेश, गुडडू पि0 वेदरिया ना. बा.व सरपरस्ती मु0 कम्बोदा माता खुद कौम गुजर सा0 देह खातेदार ई0नं. 139, 148, 176 दर्ज है। इस प्रकार अनुसूचित जाति के खातेदार के स्थान पर सवर्ण जाति के व्यक्ति का नाम इन्द्राज होने से तहसीलदार द्वारा धारा 46–ए के प्रावधानों के विपरीत पाया जाकर धारा 175 के तहत कार्यवाही का प्रार्थना–पत्र देने पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिप्रेषित आदेश के क्रम में तनकियात बनाकर विवादित भूमि को बहक कब्जा राज लिए जाने के आदेश पारित किए है। उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित तनकीवार निर्णय को साक्ष्यों के आधार पर विधिसम्मत मानकर अपील को पोषणीय नहीं मानकर खारिज कर विचारण न्यायालय के आदेश को यथावत रखा है। हमारी राय में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधिसम्मत है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय समवर्ती निष्कर्षो पर आधारित हैं तथा अपील में विधि का कोई प्रश्न भी अन्तर्वलित नहीं है। इसलिए द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

8– उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अन्य कोई प्रार्थना–पत्र, यदि कोई लम्बित हों ,तो तद्नुसार निर्णित किए जाते हैं।

पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर)
सदस्य